निगम आयुक्त ने अधिकारियों को बस में साथ लेकर शहर का निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। नगर निगम द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों के निरीक्षण तथा जन समस्याओं को चिन्हित कर उनके त्वरित समाधान के लिए आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने शुक्रवार को नई पहल की। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को साथ लेकर मिनीबस से शहर का दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण से लेकर गंदगी तक सभी समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। आयुक्त मेहरा और निगम अधिकारियों की टीम दोपहर करीब 3 बजे निगम कार्यालय से रवाना हुई और सबसे पहले दशहरा मैदान फेज-2 का निरीक्षण किया। यहां आयुक्त ने मैदान के समतलीकरण कार्य में तेजी लाने के साथ मैदान में बनी झौंपड़ियों को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए।

इसके बाद उन्होंने साजीदेहड़ा नाले के पास कैथूनीपोल लिंक रोड के निर्माण कार्य को देखा। यहां आयुक्त ने रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य और सड़क चौड़ीकरण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां कार्यरत श्रमिकों की संख्या को अपर्याप्त बताया और अधिकारियों से कहा कि ठेकेदार को स्टाफ बढ़ाने के लिए पाबंद करें।

वहां से रवाना होने के बाद आयुक्त मेहरा को विभिन्न स्थानों पर सड़क पर गायें घूमती नजर आईं। उन्होंने गौशाला प्रभारी को निर्देश दिए कि सभी पोइंट्स नोट कर गायें पकड़ने की कार्यवाही की जाए। इसके बाद उन्होंने मल्टीपरपज स्कूल लिंक रोड पर ट्रेक्टर स्वीपिंग मशीन का डेमो देखा तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मशीन का शहर के अन्य हिस्सों में भी परीक्षण किया जाऐं। यहीं उन्होंने मलटीपरपज स्कूल, व चौपाटी तथा गुमापुरा क्षेत्र में सड़क पर कब्जा जमा ठेले वालों तथा फुटपाथ पर सामान फैलाकर रखने वाले स्थायी दुकानदारों को पहले चेतावनी देने तथा नहीं मानने पर जब्ती की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के इस मुख्य बाजार में बेतरतीब खड़े वाहनों को व्यवस्थित करवाने के लिए ट्रेफिक पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कर कार्यवाही करें। इसके बाद उन्होंने गुमानपुरा थाना रोड, सब्जीमंडी पोस्ट ऑफिस रोड होते हुए डीसीएम रोड पर आहलुवालिया मॉल से संजय नगर और विज्ञान नगर मुख्य मार्ग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले पथ विक्रेताओं को गंदगी नहीं फैलाने के लिए पाबंद करने, वहां विशेष सफाई अभियान चलाने, विज्ञान नगर के मुख्य रोड स्थित नाले से प्लास्टिक वेस्ट हटवाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कॉमर्स कॉलेज चौराहा, तलवंडी चौराहा, जवाहर नगर मुख्य रोड होते हुए धोकड़े के बालाजी, दादाबाड़ी चौराहा से सीएडी सर्किल तक का निरीक्षण किया।

माधवराव सिंधिया पार्क में पौधारोपण:- निरीक्षण के दौरान आयुक्त मेहरा ने छावनी चौराहा स्थित माधवराव सिंधिया पार्क में पौधारोपण किया। उन्होंने पार्क में उगी घास को कटवाने तथा पार्क की सफाई करवाने के निर्देश भी दिए।

कोटा नगर निगम आयुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों को साथ शहर का दौरा किया।

सड़क पर निर्माण सामग्री पर बनाएं चालान:- निरीक्षण के दौरान आयुक्त मेहरा को विभिन्न स्थानों पर सड़क पर निर्माण सामग्री भी नजर आई। आयुक्त मेहरा ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश कि अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य निरीक्षकों और कनिष्ठ अभियंताओं के माध्यम से सर्वे करवाएं। जिन भी लोगों ने सड़क पर निर्माण सामग्री फैलाकर रास्ता संकरा अथवा जांम कर रखा है, उनके खिलाफ चालान की कार्यवाही की जाए।

केडीए से नालों के ढकान में चेम्बर रखवाएं:- निरीक्षण के दौरान आयुक्त मेहरा ने देखा कि कोटा हार्ट अस्पताल के सामने स्थित नाले का केडीए द्वारा ढकान करवाया जा रहा है। आयुक्त ने मौके पर ही अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि वे केडीए से बात कर ढकान में नाले पर चेम्बर रखवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि बाद में सफाई में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त भावना सिंह, माल्विका त्यागी, महावीर सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता जेपी शर्मा, अधीक्षण अभियंता महेश चंद गोयल, अधिशासी अभियंता प्रखर गोयल, संजय विजय, ए.क्यू. कुरैशी, विष्णु वैष्णव, सहायक अभियंता भुवनेश नावरिया, तौसिफ खान, कनिष्ठ अभियंता दिनेश गंगवाल और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जितेन्द्र बग्गा साथ रहे।

अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए आवेदन मांगे

कोटा, (निसं)। राजकीय अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावास, टैगोर नगर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी) के पात्र विद्यार्थियों से रिक्त सीटों के लिए प्रवेश आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रथम सूची के बाद रिक्त रहने वाली सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ही अन्य समुदायों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं एमबीसी) के पात्र विद्यार्थियों के आवेदन भी आमंत्रित किये जा रहे हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी त्रिलोक चन्द मीणा ने बताया कि आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी हो तथा जिला मुख्यालय से बाहर का विद्यार्थी हो, जो कक्षा 9 से उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत हो। नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड की प्रति, नवीनतम अंकतालिका, टी.सी. (स्थानांतरण प्रमाण पत्र), आय प्रमाण पत्र (परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक हो। राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन लेवल-11 तक के कर्मचारियों का नियमानुसार आय प्रमाण पत्र), प्रवेश शुल्क रसीद, अध्ययनरत संस्था का परिचय पत्र, अल्पसंख्यक/जाति प्रमाण पत्र उपरोक्त दस्तावेजों सहित पात्र विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर, वांछित दस्तावेजों सहित 15 अगस्त तक कार्यालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कोटा में जमा करवा सकते हैं।

वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की पांच बाइक बरामद

कोटा, (निसं)। सांगोद पुलिस टीम ने बाइक चोरी के दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए वाहन चोर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से चोरी की गई 5 बाइकें एवं एक सोने का मंगलसूत्र बरामद किया गया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि 29 जुलाई को फरियादी ने सांगोद थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि किक्रेट का मैच देखने के लिये ईदगाह गया था, बाईक को खड़ा करके मैच देखने के लिये चला गया और जब वापस आया तो बाईक मौके पर नही मिली, जिसे कोई अज्ञात चोरी करके ले गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया, मामले मे कार्यवाही के लिये सांगोद थानाधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, गठित टीम ने सीसीटीवी फुटैज खंगाले व आसुचना पर कार्यवाही की। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना मिली कि बाइक चोरी में सुल्तानपुर निवासी हरिओम उर्फ हरिश शामिल है, उक्त सूचना पर टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर संभावित स्थानों पर दबिश दी टीम ने मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए थाना सुल्तानपुर के भौहरा रोड निवासी हरिओम उर्फ हरिश (22) को गिरफ्तार किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि सूनसान रास्तो या रात्रि के समय घर के बाहर खड़ी बाईकों को निशाना बनाता था, पकड़े गये आरोपी से चोरी की गई 5 बाइक व सोने का एक मंगलसूत्र बरामद किया है।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक : LU2012/KOT/2026-27/101234 **लोक सूचना** दि. 31.07.2026

श्री SHANKAR LAL पुत्र श्री BARDA जाति BHEEL निवासी BHEEL BASTI RATH KANKRA KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **अन्य संस्थानिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	रथकांकरा, लाडपुरा (कोटा)	SHANKAR S/O BIRADHA CASTE BHEEL SA.DEH KHATEDAR	235	13300	1.33
				कुल	1.33

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क ओंरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारी के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 31/07/2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन

नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 180/2026

चूंकि श्री महेन्द्र कुमार जैन पिता का नाम श्री हरक चंद जैन निवासी ए-115, तलवंडी कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास ''श्री जैन समिति, प्लॉट नं. 2, संस्थागत योजना, झालावाड रोड, कोटा'' के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 30.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 06.10.2026 है।

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा

सार-समाचार

राजस्थान स्टेट बैडमिंटन के प्रतियोगियों का सम्मान किया

कोटा, (निसं)। जयपुर में आयोजित राजस्थान स्टेट बैडमिंटन रैंकिंग प्रतियोगिता के अंडर-19 बालिका एकल वर्ग में रजत पदक जीतने पर ऋतिका झामनानी का तथा अंडर-19 मिश्रित युगल वर्ग के फाईनल में भानु प्रताप सिंह द्वारा स्थान बनाने पर जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष प्रेम भाटिया द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाटिया ने दोनों खिलाड़ियों को उनके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ एवं मंगलकामनाएँ प्रेषित की। कार्यक्रम में उनके परिवारजन, कोच विष्णु शर्मा एवं रजनी शर्मा (सहायक महाप्रबंधक) भी उपस्थित रहे। दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएँ दी गई।

एस.डी.पी. डोनेट की

कोटा, (निसं)। श्रावण मास में लोग दान पुण्य कर रहे हैं, संतों के प्रवचन चल रहे हैं, वहीं सेवा के क्षेत्र में भी कार्य हो रहे हैं, ऐसे में टीम जीवनदाता भी अपने नियमित सेवा के कार्य को करते हुए एसडीपी की व्यवस्था कर रही है। लायंस क्लब कोटा टेक्नो के निदेशक व टीम के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि महावीर नगर निवासी महेन्द्र शर्मा को बी पॉजीटिव एसडीपी की आवश्यकता थी, उनकी प्लेटलेट 17 हजार रह गई थी, ऐसे में चिकित्सकों ने शीघ्र ही एसडीपी चढ़ाने के लिए कहा। परिवार में बेटा वंशज शर्मा छोटा हैं, कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन टीम जीवनदाता उनके लिए सहारा बनी और रजनीश खंडेलाल को स्थिति बताई तो वह अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे और उन्होंने 22वीं बार एसडीपी डोनेशन किया। वह इससे पूर्व 27 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, नर्सिंग ऑफिसर एनएमसीएच रजनीश खंडेलवाल ने बताया कि श्रावण मास में सेवा करना परम पुण्य का कार्य है, सभी धर्मप्रेमियों को मानवीय सेवा में अग्रणी रहना चाहिए। गुप्ता ने बताया कि रजनीश जब भी हॉस्पिटल ड्यूटी पर नहीं होते तो अपनी बारी के लिए काफी उत्सुकता से पूछते रहते हैं।

86 किलो अवैध मादक पदार्थ जब्त

कोटा, (निसं)। शहर के विभिन्न थानो पर फैसलाशुदा व धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट के तहत 32 प्रकरणों में जब्त 86 किलो 276 ग्राम अवैध मादक पदार्थ का नष्टीकरण शुक्रवार को किया गया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि नशा मुक्त भारत संकल्प के तहत शहर के थानो पर फैसलाशुदा तथा धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट के 32 प्रकरणो में जब्तशुदा 86 किलो 276 ग्राम अवैध मादक पदार्थ का नष्टीकरण गठित जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा भौतिक सत्यापन कर चौकी जगपुरा थाना रानपुर पर दो स्वतंत्र गवाहो की मौजूदगी में नियमानुसार जलाकर नष्ट किया गया। शहर एसपी ने बताया कि कार्यवाही के दौरान नष्टीकरण किये गये 86 किलो 276 ग्राम अवैध मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 40 लाख रूपये के करीब बताई गई है।

शिविर में लेखराज को आवासीय पट्टा मिला

कोटा, (निसं)। ग्रामीण सेवा शिविर के तहत आयोजित किए जा रहे फॉलो-अप शिविर अंतर्गत पीपल्दा के ग्राम रजोपा में लेखराज पुत्र हजारी लाल नागर को पूर्व में मकान का पट्टा जारी किया हुआ था लेकिन जानकारी के अभाव में पट्टे की रजिस्ट्री नहीं करवाने से पट्टे पर बैंक से आवासीय ऋण लेने में परेशानी आ रही थी। इसलिए पट्टे का पुन: विधिमान्यकरण करवाने का प्रार्थना पत्र शिविर प्रभारी को प्रस्तुत किया गया जिस पर मौके पर ही पंचायतीराज विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पट्टे का पुन: विधिमान्यकरण कर दिया गया। शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी इटावा हेमन्त घनगोर लेखराज नागर को पट्टे का पुन: विधिमान्यकरण का वितरण किया। जिससे पट्टाधारक को आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बैंक से आवासीय ऋण मिल सकेगा। ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित करवाने पर राजस्थान सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त किया।

दोषी को 5 साल की सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। नाबालिग से छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट मामले में दर्ज करीब डेढ़ साल से अधिक पुराने मामले में पोक्सो क्रम-2 न्यायालय ने पकड़े गये आरोपी पुजारी को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई साथ ही 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह भानावत ने बताया कि 18 अगस्त 2024 को पीड़िता की मां ने शहर के एक थाने में रिपोर्ट दी। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट मे कहा कि उसकी 9 वर्षीय बच्ची उसकी नन्द की बच्चीयो के साथ मंदिर गई थी जब बापस आई तो उदास थी, पूछने पर पता चला कि मंदिर के पुजारी ने छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत की अन्य बच्चियां आई तो उन्होने भी बताया कि मंदिर का पुजारी छेड़छाड़ करता है। पुलिस ने पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया, पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए 75 वर्षीय पुजारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया, मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये।

सावन माह में शिव मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे

कोटा, (निसं)। सावन माह में प्रमुख शिव मंदिरों में प्रथम सोमवार, 3 अगस्त को जिला स्तर से लेकर उपखंड स्तर तक देवस्थान विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने बताया कि सावन माह के प्रथम सोमवार को चयनित शिवालय, मंदिरों में रूद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधि, साधु-संत एवं गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर चयनित शिवालय श्री नीलकंठ महादेव मंदिर रेतवाली पर 3 अगस्त को विशेष दर्शन, श्रृंगार, पूजन एवं रूद्राभिषेक, कलश यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चयनित शिवालयों, मंदिरों में धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रस्तुतियों का आयोजन एवं सामूहिक मंत्रोच्चार, ओंकार जाप, शिव भजन-कीर्तन, स्वच्छता अभियान, शिव विषयक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी।

एसईटी अंतिम तिथि बढ़ने से हजारों अभ्यर्थियों को राहत

कोटा, (निसं)। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं कोटा विश्वविद्यालय ने बड़ी राहत प्रदान की है। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त, 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने 11 अगस्त, 2026 तक आवेदन पत्र में संशोधन (करेक्शन विण्डो) की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

इस संबंध में कोटा विश्वविद्यालय ने अधिसूचना-05/2026 जारी कर विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई है। कुलगुरू प्रो.भगवती प्रसाद सारस्वत ने बताया कि यूजीसी द्वारा जारी पात्रता संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक, जबकि ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे।

सेट-2026 के समन्वयक धनश्याम शर्मा ने बताया कि स्नातकोत्तर द्वितिय वर्ष के विद्यार्थी अथवा जिनका परिणाम लंबित है, वे भी एसईटी-2026 के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों को परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित अंकों के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर दो वर्ष के भीतर पात्रता की शर्तें पूरी करनी होंगी। अभ्यर्थियों को अपने स्नातकोत्तर विषय में ही परीक्षा देनी होगी।

यदि संबंधित विषय की सूची में शामिल नहीं है, तो अभ्यर्थी यूजीसी-नेट अथवा यूजीसी-सीएसआईआर नेट में सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी 11 अगस्त तक ऑनलाईन संशोधन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन एवं आवश्यक संशोधन पूरा करने की सलाह दी है।

एसईटी प्रमाणपत्र केवल राजस्थान राज्य में मान्य होगा तथा इसकी वैधता आजीवन रहेगी। राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं भर्ती एजेंसियां अपने निर्धारित नियमों के अनुसार एसईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में इसका उपयोग कर सकेंगी।

शहरी सेवा शिविर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए संजीवनी बना

कोटा, (निसं)। नगर निगम के शहरी सेवा शिविर फॉलोअप कैम्प में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फुटकर विक्रेताओं की आर्थिक मजबूती की संजीवनी सिद्ध हो रही है।

योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को त्वरित एवं आसान ऋण उपलब्ध होने से वे न केवल अपने व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि परिवार की आजीविका और बच्चों की शिक्षा का भी बेहतर ढंग से प्रबंधन कर पा रहे हैं। ऐसे ही दो पथ विक्रेताओं को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर ने शुक्रवार को ऋण राशि के चेक भेंट किए। माहुर में लाभार्थियों को नाम हस्तांतरण प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र भी भेंट किए।

बीड के बालाजी बालिता, कुन्हाडी निवासी चन्द्रशेखर पिछले छह वर्षों से फूल-माला का व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा आयोजित पीएम स्वनिधि शिविर में नि:शुल्क आवेदन करने के कुछ ही दिनों बाद बैंक से 10 हजार रुपये का प्रथम ऋण प्राप्त हुआ। इससे व्यवसाय को गति मिली। समय पर ऋण चुकाने के बाद उन्हें 20 हजार रुपये का दूसरा ऋण मिला, जिसे भी उन्होंने नियमित रूप से चुका दिया। अब शहरी सेवा शिविर के माध्यम से उन्हें 50 हजार रुपये का तृतीय ऋण स्वीकृत हुआ है। चन्द्रशेखर ने बताया कि उनकी पत्नी भी व्यवसाय में सहयोग करती हैं तथा इसी आय से परिवार का पालन-पोषण और दो बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन हो रहा है।

वहीं, आहुजा नगर, आनंदपुरा निवासी कोमल महावर, जो सब्जी विक्रेता हैं, ने बताया कि व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता होने पर निजी स्रोतों से अधिक ब्याज पर ऋण लेने की स्थिति बन रही थी। 27 जुलाई को नगर निगम के शहरी सेवा शिविर में उन्हें पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी मिली। शिविर में ही उनका नि:शुल्क ऑनलाइन आवेदन किया गया और मौके पर ऋण अनुशंसा पत्र प्रदान कर दिया गया। अगले ही दिन उन्होंने बैंक में आवश्यक दस्तावेज जमा किए और मात्र तीन से चार दिनों में 15 हजार रुपये की प्रथम ऋण राशि उनके खाते में जमा हो गई।

सम्मान समारोह आज

बूंदी (निसं)। श्रृंग जयंती महोत्सव के तहत खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागी विजेताओं को 1 अगस्त को सायं 7 बजे श्रृंग भवन गणेश गली में पारितोषिक वितरण एवं समापन समारोह रखा गया है जिसमें समाज के विजेताओं एवं 12वीं तक के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

विश्व मानव तस्करी निरोधी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम

मानव तस्करी निरोधी दिवस पर सृष्टि सेवा समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ।

कोटा, (निसं)। जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रन के सहयोगी संगठन सृष्टि सेवा समिति ने विश्व मानव तस्करी निरोधी दिवस के अवसर पर कोटा स्टेशन पर यात्रियों को मानव तस्करी निरोधी दिवस के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई तथा मानव तस्करी को रोकने की अपील की गई।

सृष्टि सेवा समिति के जिला संबंधित ने बताया कि विश्व मानव तस्करी निरोधी दिवस के अवसर पर सृष्टि सेवा समिति की टीम ने रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी गण, यात्रीगण, कुली, ऑटो संचालकों आदि के साथ मिलकर जन जागरूकता कार्यक्रम किया। इस दौरान चाईल्ड हेल्पलाइन के प्रोग्राम कॉ-ऑर्डिनेटर नरेश मीणा ने भी लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि मानव तस्करी को रोकने के लिए सबका सामूहिक प्रयास जरूरी है।

ट्रेन में सफर के दौरान जब भी कोई अकेला बच्चा आपको नजर आता है तो उसकी मदद कीजिए उसे रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस की मदद से घर पहुंचने का प्रयास कीजिए। वही भूपेंद्र सिंह ने यात्रियों से अपील की कि जब भी उन्हें दो या दो से अधिक बच्चों का समूह नजर आता है और उन्हें परिस्थितियों संदिग्ध नजर आती हैं तो तुरंत हेल्पलाईन के नंबरों पर कॉल करें और इस बात की जानकारी दें।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम कपिल कुमार जैन से बदलकर नया नाम कपिल जैन रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-कपिल जैन पुत्र हंसराज जैन प्लाट नं. 54 समृद्धि नगर सेकण्ड, बोरखेडा, कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम हुसैनी जीरापुरी से बदलकर नया नाम हुसैनी जीरापूर वाला रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-हुसैनी जीरापूर वाला पुत्र सैफुद्दीन भाई, इब्राहिमपुरा, सुनेल झालावाड़

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड पर मेरा नाम आकाश दयानी (Aakash Dayani) लिखा हुआ है तथा कुछ अन्य दस्तावेजों मैं मेरा नाम आकाश कुमार (Aakash Kumar) दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम आकाश दयानी (Aakash Dayani) है। भविष्य में मुझे आकाश दयानी (Aakash Dayani) के नाम से जाना पहचाना जावे।

आकाश दयानी पुत्र श्री आत्म प्रकाश
निवासी 144/101 वल्लभ बड़ी कोटा

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री आत्माराम पुत्र श्री नेमनदास जी का एक भूखण्ड संख्या 561 दादाबाड़ी योजना कोटा (राज.) में स्थित है। आत्माराम जी की मृत्यु दिनांक 23 जुलाई 1992 को हो जाने के पश्चात् उक्त संपत्ति में आत्माराम जी के विधिक वारिसान् पुत्रियां, श्रीमती हरदेवी साहनी एवं श्रीमती तरूणा लालवानी एवं श्रीमती पायल गोपालानी, निधि गोपालानी एवं अंकुर गोपालानी पत्नी/ पुत्र/पुत्री स्व. विजय कुमार गोपालानी ने अपने अपने अविभाजित हिस्सों/मालिकाना हक को उक्त संपत्ति में सहस्वामी एवं आत्माराम जी के अन्य विधिक वारिसान/पुत्रान् श्री सतीश गोपालानी, श्री भरतराज गोपालानी, श्री लक्ष्मण कुमार गोपालानी एवं श्री महेश कुमार गोपालानी के पक्ष में दो रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 28.06.2024 से त्याग दिया है। उक्त हक त्यागपत्रों के आधार पर नगर निगम कोटा ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 20.11.2025 से उक्त संपत्ति का स्वामित्व भी श्री सतीश गोपालानी, श्री भरतराज गोपालानी, श्री लक्ष्मण कुमार गोपालानी एवं श्री महेश कुमार गोपालानी के पक्ष में कर दिया है। अब उक्त संपत्ति को रहन किया जाकर मेरे पक्षकार बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना है। अत: उक्त संपत्ति को श्री सतीश गोपालानी, श्री भरतराज गोपालानी, श्री लक्ष्मण कुमार गोपालानी एवं श्री महेश कुमार गोपालानी के द्वारा मेरे पक्षकार बैंक ऑफ बड़ौदा कोटा में साम्यिक बंधक किए जाने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था या अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में मुझे सूचित करें। मियाद गुजरने उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरे पक्षकार बैंक उक्त संपत्ति को साम्यिक बंधक करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

दिनांक : 30.07.2026

महेन्द्र राय जैन, एडवोकेट
मो. 9828136378

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 157 **नाम हस्तान्तरण वाहने बाबत आम सूचना** दिनांक : 31.7.2026

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा दुकान/भूखण्ड संख्या-115-ए नई धानमण्डी व्यवसायिक योजना का आवंटन मण्डी कमेटी द्वारा श्री दिलीप सिंह चौधरी पुत्र श्री धनकरण जी को क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट का आवंटन किया गया था।

जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 07.04.1964 को हो चुकी है। श्री दिलीप सिंह चौधरी के द्वारा उक्त भूखण्ड को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.01.1966 के द्वारा श्री पृथ्वीराज एवं बिहारी लाल को बैचान किया गया है।

श्री पृथ्वीराज एवं श्री बिहारी के द्वारा उक्त भूखण्ड को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.10.1967 को श्री होताराम एवं श्री बिहारी लाल को बैचान किया गया है। श्री होताराम एवं श्री बिहारी लाल के द्वारा संयुक्त रूप से श्री मोतीलाल एवं श्री सुरजमल को बैचान किया गया है। श्री सुरजमल जी की मृत्यु दिनांक 19.07.2007 को एवं श्री मोतीलाल की मृत्यु दिनांक 21.11.2002 को हो चुकी है। श्री सुरजमल पुत्र श्री औंकारलाल की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिस